State	Location of LPT which is to be upgraded
Uttar Pradesh	Gonda
	Lakhimpur
	Lucknow (DD II)
West Bengal	Balurghat
	Krishnanagar
	Kharagpur
	Shantiniketan
	Murshidabad (DD II)
Pondicherry	Pondicherry

Common code of conduct for foreign channels

1516. SHRI K. KALAVENKATA RAO: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state the steps taken to bring foreign channels to follow a Common Code of Conduct in respect of programming and advertisement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI MUKHTAR NAQVI): Most of the satellite channels, including the foreign satellite channels, reach the viewers in India mostly through cable operators. These cable operators are governed by Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 which prescribes codes for programme and advertising. These codes do not cover programmes of foreign satellite channels which can be received without the use of any specialised gadgets or decoder. Action has now been initiated for amending certain provisions of this Act with a view, inter-alia, to bring these programmes of the "free-to-air" foreign satellite channels also within the ambit of the prescribed programme/advertising code of the cable law when transmitted through a cable operator.

देश में अल्प शक्ति के प्रसारण केन्द्र

1517. **श्री बालकवि बैरागी:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार ऐसे कितने अल्प शक्ति के प्रसारण केन्द्र हैं जो पूर्णतया तैयार होने के बावजूद भी बन्द पड़े हैं;

(ख) ये केन्द्र प्रसारण के लिए तैयार होने के बावजूद बन्द क्यों पड़े हैं; और

(ग) इन केन्द्रों को चालू करने की दिशा में केन्द्र सरकार क्या कदम उठा रही है और यह केन्द्र कब तक चालू हो जाएंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): (क) और (ख) हालांकि 18 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तकनीकी रूप से तैयार और चालू किए जाने के लिए प्रतीक्षित हैं तथापि, 5 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर यद्यपि चालू कर दिए गए हैं लेकिन अपेक्षित स्टाफ संबंधी स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण वे प्रसारण नहीं कर रहे हैं। इस बारे में राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ग) कुछ अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के मामले में नए पदों संबंधी स्वीकृति न मिलने के कारण अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाया है। इस समस्या को हल करने के लिए वित मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक से अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों सहित विभिन्न दूरदर्शन प्रतिष्ठानों की स्टाफ संबंधी समग्र आवश्यकता का आकलन करने हेतु उनके स्टाफ मानकों का शीघ्र अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है। कर्मचारी निरीक्षण एकक की सिफारिशें प्राप्त होने पर अपेक्षित पदों के सृजन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि सभी अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों पर उपयुक्त रूप से कर्मचारी तैनात किये जा सकें।

विवरण

(क) तकनीकी रूप से तैयार और चालू किए जाने के लिए प्रतीक्षित परियोजनाएं

राज्य	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर का स्थल
जम्मू तथा कश्मीर	उधमपुर
उड़ीसा	गोंडिया

राज्य	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर का स्थल
गुजरात	राजुला
	उमेरगांव
	मेडासा
तमिलनाडु	चिदम्बरम
पश्चिम बंगाल	बलरामपुर
महाराष्ट्र	पांढरकवड़ा
	भण्डारा
	पाटन(सतारा)
मध्य प्रदेश	पेंडरा रोड
राजस्थान	नवलगढ़
	मकराना
	सागवाड़ा
आंध्र प्रदेश	देवरकोन्ड
	वल्दाना
कर्नाटक	डन्डोली
नागालैण्ड	मोकॉकचुंग (डी.डी.-2)

(ख) चालू परन्तु प्रसारण न करने वाली परियोजनाएं

पश्चिम बंगाल	बासंती
	बिशनपुर
	राइना
उड़ीसा	सेहाला
त्रिपुरा	तेलियामुरा

कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों से संबंधित फिल्में बनाने के लिए दूरदर्शन को निधियों का अनुदान

1518. **श्री बालकवि बैरागी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय ने 1998-99 के वर्ष के लिए कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्याप्त उग्रवादी गतिविधियों के विरूद्ध छोटी-बड़ी फिल्में, वृत्तचित्र, सूचना फिल्में तथा तथ्य-वृत्त चित्र बनाने के लिए दूरदर्शन या सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पर्याप्त धनराशि देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो यह राशि कितनी है तथा इसमें से कितनी राशि प्राप्त की जा चुकी है;

(ग) किस-किस संस्थाओं/व्यक्ति या निर्माता को कौन-कौन सी फिल्म बनाने का काम दिया गया है;

(घ) उन निर्माताओं को कितनी धनराशि दी गई है, व्यक्तिवार या संस्थावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह योजना कब समाप्त होगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नक़वी): (क) और (ख) मीडिया पर सचिवों के कोर ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय ने प्रसार भारती (दूरदर्शन और आकाशवाणी) द्वारा जम्मू तथा कश्मीर में जीवन के विकासात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं अन्य पहलुओं और विभिन्न रूपों में विशेष कार्यक्रमों के निर्माण के लए 14.66 करोड़ रु० की अतिरिक्त विशेष राशि (10.00 करोड़ रू० चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिए तथा 4.66 करोड़ रु० बकाया देयताओं को पूरा करने के लिए) अनुमोदित की है। इसी तरह, प्रसार भारती द्वारा उत्तर-पूर्व के संबंध में सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए भी वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 1998-99 के लिए 8.00 करोड़ रू० की अतिरिक्त राशि अनुमोदित की गई है।

(ग) और (घ) ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट 186, अनुपत्र सं० 29]**

(ङ) प्रसार भारती द्वारा जम्मू तथा कश्मीर और उत्तर-पूर्व पर विशेष सॉफ्टवेयर का निर्माण, एक सतत स्कीम है जो कि सरकार द्वारा अतिरिक्त निधियां प्रदान करने पर निर्भर करती है।

Assistance by National Film Development Corporation for making regional films in Orissa

1519. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether financial assistance has been given for making films for big screen, telefilm, video-cassettes etc. in regional languages during each of the last three years;

(b) if so, details thereof, language-wise; and

(c) the role of National Film Development Corporation for helping in film making in regional languages of Orissa?